



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012026-268998
CG-DL-E-01012026-268998

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5940]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2025/पौष 10, 1947

No. 5940]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2025/PAUSHA 10, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6150(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3496(E) तारीख 29/07/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखंड राज्य के सराईकेला खरसावां जिले में 33वें किमी पर पुल का निर्माण NH-220 के कि.मी. 32.482 से कि.मी. 32.975 तक के भूखण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए वह भूमि अपेक्षित है उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी; अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "07/08/2025 को "प्रभात खबर" और "उदित वाणी" " में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

झारखंड राज्य के सराईकेला खरसावां जिले में 33वें किमी पर पुल का निर्माण-NH-220 के कि.मी. 32.482 से कि.मी.32.975 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: झारखंड			जिले का नाम: सराईकेला खरसावां		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गोबिंदपुर (राजनगर)					
गांव का नाम: बनकटी					
1	368	सरकारी	डुंगरी	0.0135	अनाबाद बिहार सरकार
2	369	निजी	दोन तीन	0.0453	शाम महतो कैलाश महतो अमिन महतो पिता मंगला महतो
3	371	निजी	दोन तीन	0.0149	शाम महतो कैलाश महतो अमिन महतो पिता मंगला महतो
4	372	निजी	दोन तीन	0.0193	शाम महतो कैलाश महतो अमिन महतो पिता मंगला महतो
5	374	निजी	दोन तीन	0.0101	शाम महतो कैलाश महतो अमिन महतो पिता मंगला महतो
6	380	सरकारी	डुंगरी	0.038	अनाबाद बिहार सरकार
7	384	निजी	दोन तीन	0.0112	शाम महतो कैलाश महतो अमिन महतो पिता मंगला महतो
8	385	सरकारी	पुरानी परती	0.0732	अनाबाद बिहार सरकार
9	386	निजी	दोन तीन	0.0139	गुरुचरण महतो, पिता अन्नतराम महतो
10	387	सरकारी	पुरानी परती	0.017	अनाबाद बिहार सरकार
11	388	निजी	दोन दो	0.0128	गुरुचरण महतो, पिता अन्नतराम महतो
12	396	सरकारी	पुरानी परती	0.0023	अनाबाद बिहार सरकार
13	416	सरकारी	सड़क	0.4844	लोक निर्माण विभाग

14	567	सरकारी	नाला	0.0495	अनाबाद बिहार सरकार
Total				0.8054	

[फा. सं. CENH/Land Acquisition-03/25/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2025

S.O. 6150(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **3496(E) Dated:29/07/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Bridges at **33rd km of NH-220** in the stretch of land from **Km. 32.482 to Km. 32.975** in the district of SARAIKELA KHARSAWAN in the state of JHARKHAND

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Prabhat Khabar**” and “**Udit Vani**” dated **07/08/2025**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling Construction Of Bridges at 33rd KM of NH-220 in the stretch of land from Km. 32.482 to Km. 32.975 in the district of SARAIKELA KHARSAWAN in the state of JHARKHAND

State: JHARKHAND			District: SARAIKELA KHARSAWAN		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Gobindpur (Rajnagar)					
Village: Bankati					
1	368	Government	Dungri	0.0135	Anabad Bihar Sarkar
2	369	Private	Don iii	0.0453	Sham Mahato Kailash Mahato Amin Mahato S/o Mangala Mahato
3	371	Private	Don iii	0.0149	Sham Mahato Kailash Mahato Amin Mahato S/o Mangala Mahato
4	372	Private	Don iii	0.0193	Sham Mahato Kailash Mahato Amin Mahato S/o Mangala Mahato
5	374	Private	Don iii	0.0101	Sham Mahato Kailash

					Mahato Amin Mahato S/o Mangala Mahato
6	380	Government	Dungri	0.038	Anabad Bihar Sarkar
7	384	Private	Don iii	0.0112	Sham Mahato Kailash Mahato Amin Mahato S/o Mangala Mahato
8	385	Government	Purani Parti	0.0732	Anabad Bihar Sarkar
9	386	Private	Don iii	0.0139	Gurucharan Mahato S/o Anantram Mahato
10	387	Government	Purani Parti	0.017	Anabad Bihar Sarkar
11	388	Private	Don ii	0.0128	Gurucharan Mahato S/o Anantram Mahato
12	396	Government	Purani Parti	0.0023	Anabad Bihar Sarkar
13	416	Government	Road	0.4844	Lok Nirman Bibhag
14	567	Government	Nala	0.0495	Anabad Bihar Sarkar
Total				0.8054	

[F. No. CENH/Land Acquisition-03/25/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director